



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092

के.मा.शि.बो./शै./व्याव./डीडी/एन एस एस/02-2015

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 14/2015

दिनांक: 18 जनवरी, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : वोकेशनल (Vocational) विषय (अनिवार्य/वैकल्पिक) प्रदान करने वाले विद्यालयों के लिए कक्षा IX और X की योगात्मक आकलन-II (SA-II) परीक्षाओं का संचालन।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

यह परिपत्र के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों के लिए मार्च 2015 में कक्षा IX और X के लिए योगात्मक आकलन-II (SA-II) के लिए परीक्षाओं के संचालन से है। वोकेशनल विषय/विषयों (अनिवार्य/वैकल्पिक) प्रदान करने वाले विद्यालय कृपया निम्न का ध्यान रखें:

वोकेशनल (Vocational) विषय अनिवार्य विषय के रूप में :

जो विद्यालय वोकेशनल विषयों को IX और X कक्षाओं में छोटे अनिवार्य विषय के रूप में दे रहे हैं, और शैक्षिक विषयों के तर्कसंगत पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं, वे बोर्ड आधारित और विद्यालय आधारित दोनों तरह की परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र प्राप्त करेंगे:

- बोर्ड आधारित परीक्षा :** जिन स्कूलों ने बोर्ड आधारित परीक्षाओं का चयन किया है, वे बोर्ड के पेपर (परीक्षा-पत्र) प्राप्त करेंगे और छात्र निर्धारित केन्द्रों पर परीक्षा देने के लिए उपस्थित रहेंगे।
- स्कूल आधारित परीक्षा :** स्कूल शैक्षणिक और वोकेशनल दोनों विषयों के लिए प्रश्न-पत्र और अंक योजना ई-मेल से प्राप्त करेंगे।

वोकेशनल विषय वैकल्पिक विषय के रूप में :

जो स्कूल वोकेशनल विषय को छोटे वैकल्पिक विषय के रूप में दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे शैक्षणिक विषयों के प्रश्न-पत्र के.मा.शि.बो.-संकलित परीक्षा प्रबंध व्यवस्था (CBSE-ITMS) से डाउन लोड करें और वोकेशनल विषयों के प्रश्न-पत्र उन्हें वोकेशनल इकाई से ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आजकल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न कौशलों पर आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिससे ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करके विद्यार्थियों के कोर कौशल सशक्त हों। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन संस्थान मंत्रालय ने राष्ट्रीय वोकेशनल शिक्षा योग्यता संरचना /रूपरेखा जो अब कक्षा नौ के बाद से NSQF जाना जाता है, को शिक्षा पद्धति में कार्यान्वित करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, पोलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों में 2012-13 से शुरू से अंत तक प्रारंभ किया है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2012-13 से स्तर 1 यानि कक्षा नौ से स्कूलों में लागू करने के लिए चिह्नित किये गए हैं:

- रिटेल(कोड 401/461)
- सिक्वोरिटी (कोड 403/463)
- इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (कोड 402/462)
- ऑटोमोबाइल टेक्नोलोजी (कोड 404/464)
- ट्रेवल एंड टूरिज्म (कोड 406/466)

ये सभी पाठ्यक्रम अनिवार्य अथवा वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में दिए जा सकते हैं।

प्रोद्योगिक मूल्यांकन :

वोकेशनल विषयों का प्रायोगिक आकलन NSQF के अंतर्गत, सम्बंधित विद्यालय आंतरिक रूप से कार्यान्वित करें |
संयुक्त प्रमाण-पत्र की स्थिति में सम्बंधित कार्यक्षेत्र कौशल परिषद (Sector Skill Council) प्रायोगिक मूल्यांकन कार्यान्वित करेगा
और विवरण व समय रेखा (timeline) यथासमय प्रेषित की जाएगी |

अतः आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि अपनी पंजीकृत इमेल आई डी उपलब्ध करवाई जाए ताकि बोर्ड प्रश्न-पत्र और अंक-
योजनाएँ भेजी जा सके |

यह भी अनुरोध किया जाता है कि पासवर्ड भेजने के लिए एक वैकल्पिक इमेल आई डी भी भेजी जाए |

और अधिक जानकारी के लिए वोकेशनल शिक्षा कक्ष से फोन संख्या 011-22421438, 22527184, 22527183 अथवा इमेल
vocexams.cbse@gmail.com पर संपर्क करें |

हस्ताक्षरित

(एम.वी.वी प्रसादा राव)

निदेशक (वोकेशनल और एडुसेट)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने
अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 सभी क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 12 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 13 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 14 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 17 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 18 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 19 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 22 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

- 25 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 26 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 27 निदेशक (एडुसेट) के निजी सहायक

हस्ताक्षरित

(एम.वी.वी प्रसादा राव)

निदेशक (वोकेशनल और एडुसेट)